रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 7 दिसम्बर, 2019 ई० (अग्रहायण 16, 1941 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख—नगर पंचायत, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पंचायत।

खण्ड-घ—जिला पंचायत

01 सितम्बर, 2019 ई०

सं० 13/23-5(2018-2021)स्था0नि0सं0 II—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 142 एवं 143 के साथ पठित धारा 239(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, वाराणसी द्वारा जनपद वाराणसी के क्षेत्राधिकार के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या अन्य संस्था, राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थायें, व्यापारियों/दुकानदार/फर्म/कारखाना मालिक आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु प्रचलित उपविधि में संशोधन कराकर एवं शासन के पत्र संख्या 1152/33-2-2017-62जी/17 पंचायती राज अनुभाग-2, लखनऊ, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 के अनुरूप उपविधि बनायी गयी है। उक्त उपविधि जिला पंचायत की बैठक दिनांक 07 अप्रैल, 2018 के प्रस्ताव संख्या 5 के पैरा-2 द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित है, जो आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत पुष्टि के उपरान्त गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधि

1—कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म या अन्य संस्था राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थाएं, व्यापारियों/दुकानदारों/फर्म/कारखाना मालिक आदि जनपद वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय/व्यापार जिला पंचायत, वाराणसी से लाइसेन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही करेगें।

2—इन उपविधियों के अन्तर्गत दिया जाने वाला लाइसेन्स/अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगा।

(अ) लाइसेन्स का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा और तय अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् पुनः नवीनीकरण कराना होगा।

(ब) लाइसेन्स नियत शुल्क भुगतान करने के पश्चात् ही जारी किये जायेंगे।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, वाराणसी.

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

(स) लाइसेन्स प्राप्त करने वाले व्यवसायी को व्यवसाय का पूरा विवरण नोटरी हलफनामा के साथ देना होगा।

(द) प्रत्येक लाइसेन्सधारक को अपनी दुकान के सामने एक साइन बोर्ड लगाना होगा, जिस पर दुकान, दुकानदार तथा व्यवसाय का नाम स्पष्ट रूप में लिखा होगा।

3—लाइसेंस शुल्क की वसूली जिला पंचायत के कर्मचारियों द्वारा या ठेकेदारों द्वारा की जायेगी एवं लाइसेंस शुल्क के वसूली संबंधी ठेके की नीलामी जिला पंचायत, वाराणसी द्वारा की जायेगी।

4—जिला पंचायत वाराणसी के मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत करने पर कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, लाइसेन्सिंग अधिकारी होंगे, जिनको इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स देने, बदलने/समाप्त करने, निलम्बित करने, न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने, वापस लेने तथा सुलह करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5—इन उपविधियों का उल्लंघन करने के उपरान्त चलाये गये मुकदमों के दौरान लाइसेन्स शुल्क का 50 प्रतिशत सुलहनामा शुल्क के रूप में जमा कराकर लाइसेन्स अधिकारी समझौता कर सकेंगे। सुलहनामा शुल्क, लाइसेन्स शुल्क व विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त होगा।

6—लाइसेन्स अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष, जिला पंचायत को 30 दिन के अन्दर अपील का जा सकती है। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

7—लाइसेन्स की अवधि प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।

8—लाइसेन्स प्राप्त करने या उसका नवीनीकरण करने का आवेदन निर्धारित प्रारूप पर किया जायेगा, जो निर्धारित शुल्क जमा करने पर जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त होगा। इसका मूल्य रु0 10.00 होगा।

9—खाद्य पदार्थ बनाने वाले दुकानदारों द्वारा ऐसी धातु का बर्तन का प्रयोग न किया जाये जो खाद्य पदार्थ को दूषित करते हों एवं उनमें बनाया गया पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो। खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट न हो।

10—उन उपविधियों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती लाइसेन्स को 30 अप्रैल तक नवीनीकरण कराना होगा। इसके उपरान्त लाइसेन्स बनवाने पर प्रतिमाह 25 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क जमा कर 30 सितम्बर तक एवं 30 सितम्बर के बाद 50 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क जमा करना होगा।

11—अवयस्क (नाबालिग) किसी छूत की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को लाइसेन्स नहीं जारी किया जायेगा।

12—कारखाना मालिकों/पेट्रोल पम्प मालिकों/बड़े व्यवसाइयों को अपने फर्म में साफ-सफाई प्रबंध एवं अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य होगा।

13—नाबालिगों से काम कराने पर लाइसेंस निरस्त कर चालान की कार्यवाही कर दी जायेगी।

14—पशुवधशाला/मीट शॉप (मुर्गा, बकरा, मछली) वध की दुकान/व्यवसाय करने हेतु जिला पंचायत द्वारा निम्न शर्तों के अधीन लाइसेंस निर्गत किया जायेगा।

(अ) पशुवधशाला/मीट शॉप सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक/धार्मिक स्थल से कम से कम 500 मी0 दूर होना चाहिये तथा इस प्रकार बन्द होगा कि बाहर से किसी व्यक्ति को दिखायी न दें।

(ब) विक्रय हेतु रखे खाद्य पदार्थ पूर्णतयाः आच्छादित होना चाहिये तथा ऐसी धातु का प्रयोग न हो जिससे खाद्य पदार्थ को किसी प्रकार से विषाक्त या विकृत करते हों।

(स) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के मानकों का अनुपालन आवश्यक होगा। जिसके अन्तर्गत विशेष रूप से पशुओं के प्रति वध पूर्व प्रक्रमों के अनावश्यक शारीरिक व मानसिक पीड़ा या यातना जहां तक सम्भव हो, समाप्त किया जाना।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, वाराणसी

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

(द) पशुवध मीट शॉप विक्री स्थल पर साफ-सफाई तथा पास की नाली ढ़की होना आवश्यक हैं अगर रीक्षण के क्रम में गंदगी पायी जाती है या संक्रमण रोग फैलने की शंका पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(य) पशु को मारने से पूर्व उसको निकटतम पशु चिकित्सालय के पशुचिकित्सा अधिकारी से उसके स्वस्थ होने तथा दुधारू और गर्भाणी न होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(र) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एन0ओ0सी0 अनिवार्य होगा।

(ल) शर्तों के क्रम में रजिस्टर्ड हलफनामा लाइसेंस अधिकारी जिला पंचायत वाराणसी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस फीस जमा करने के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं करने की दशा में लाइसेंस फीस जब्त कर ली जायेगी। लाइसेंस की अवधि वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। अप्रैल में नीवीनकरण न कराने की दशा में 30 सितम्वर तक निर्धारित शुल्क पर 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क लिया जायेगा तथा 30 सितम्बर के बाद 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क देना होगा। लाइसेंस एक वर्ष के लिये होगा।

इसेन्स शुल्क निम्नवत् होगा–

क्र0सं0	व्यवसायों का विवरण	संशोधित लाइसेन्स शुल्क (प्रतिवर्ष)
1	2	3
		रु0
1	कपड़े की दुकान	500.00
2	रेडीमेड कपड़े, होजरी तथा अन्य कपड़े की बड़ी दुकान	500.00
3	किराना या परचून की दुकान	500.00
4	गल्ला किराना की सम्मिलित दुकान	500.00
5	गल्ला परचून की सम्मिलित दुकान	500.00
6	कपड़ा परचून की सम्मिलित दुकान	500.00
7	गल्ला थोक या कपड़ा की बड़ी दुकान	500.00
8	विसातखाना या परचून की सम्मिलित दुकान छोटी	500.00
9	प्रवंधकीय विद्यालय (नर्सरी से कक्षा 5 तक)	5,000.00
10	प्रवंधकीय विद्यालय (जूनियर हाई स्कूल/माध्यमिक विद्यालय)	10,000.00
11	उच्च शिक्षा	15,000.00
12	तकनीकी संस्था/प्रशिक्षण संस्था (डिप्लोमा/डिग्री)	25,000.00
13	विसातखाना या परचून की सम्मिलित दुकान बड़ी	500.00
14	केवल विसातखाना (विस्कुट व टाफी) कन्फेशनरी	500.00
15	प्रत्येक होटल या वड़ा ढावा	2,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, वाराणसी

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

	2	3
		रु0
16	केवल चाय या केवल पान	200.00
17	चाय पान की सम्मिलित दुकान	200.00
18	(1) छोटे ढाबे या चाय हलवाई की सम्मिलित दुकान	500.00
	(2) केवल हलवाई की दुकान	500.00
19	पान मसाला या तम्बाकू की दुकान	200.00
20	पान मसाला या तम्बाकू का व्यवसाय	500.00
21	शरबत, लस्सी या कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान	200.00
22	घी दूध, मक्खन, वनस्पति, सरसों व अन्य तेल के बिक्री की दुकान	500.00
23	फल एवं सब्जी की सम्मिलित दुकान	200.00
24	केवल सब्जी की दुकान	200.00
25	पुस्तक कापियां स्टेशनरी की दुकान	500.00
26	फोटो स्टूडियों या फोटो स्टेट की दुकान	500.00
27	सौन्दर्य प्रसाधन की दुकान	500.00
28	ब्यूटी पार्लर	500.00
29	प्रिटिंग प्रेस या छपाई मशीन (प्रति मशीन)	500.00
30	टाईप राईटर तथा इससे संबंधित दुकान	500.00
31	जूते के अलावा चमड़े से बने सामान, स्पंज के गद्दे तकिये आदि की दुकान	500.00
32	रुई धुनने की मशीन या रुई के बने गद्दे तकिये की दुकान	500.00
33	फोटो कलर लैब	2,000.00
34	मेडिकल स्टोर एवं दवा की दुकान	500.00
35	मेडिकल स्टोर एवं जनरल स्टोर की सम्मिलित दुकान	500.00
36	रासायनिक वस्तुयें या हर प्रकार के बर्फ से बनी वस्तुयें या दवा	500.00
37	केवल सोनारी (आभूषण मरम्मत की दुकान)	500.00
38	सोने चांदी के आभूषण की दुकान	500.00
39	जूते की छोटी दुकान (केवल प्लास्टिक के जूते)	200.00
40	जूते की दुकान	500.00
41	जूते की बड़ी दुकान (चमड़े रैक्सीन रबर व कपड़े)	500.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, वाराणसी

Scanned with CamScanner

	2	3
		रु0
42	टेलर मास्टर या दर्जी की दुकान (प्रति मशीन)	200.00
43	सैलून या कारपेंटर की दुकान (बढ़ई की दुकान)	200.00
44	खेल के सामान (हाकी, फुटबाल, क्रिकेट, टेनिस आदि के सामान)	500.00
45	लोहे के बने सामानों या लोहे की दुकान (छोटी)	200.00
46	लोहे की बड़ी दुकान	500.00
47	इमारती लकड़ी या फर्निचर की दुकान	500.00
49	जलावन लकडी की छोटी दुकान	100.00
50	ईंधन जलाने वाला कोयला या लकड़ी की टाल	500.00
51	फुटकर मिट्टी का तेल, मोबिल या डीजल या स्प्रीट की दुकान	500.00
52	पेट्रोल या डीजल पम्प	5,500.00
53	बालू या सीमेंट तथा मोरम की दुकान	500.00
54	केवल चूना या कुची की दुकान	200.00
55	वार्निश पेट या भवन रंगाई सम्बन्धित अन्य सामान जैसे एंगल, दरवाजा, खिड़की पत्थर पटिया की सम्मिलित दुकान	500.00
56	भवन निर्माण से संबंधित अन्य सामान जैसे एंगल, दरवाजा, खिड़की पत्थर-पटिया की सम्मिलित दुकान	500.00
57	इमारती पत्थर या पटिया या दरवाजा या खिड़की की दुकान	500.00
58	बर्तन की दुकान (केवल लोहे या एल्मुनियम)	500.00
59	पीतल तांबा आदि बर्तन की दुकान	500.00
60	केवल स्टील के बर्तन की दुकान	500.00
61	हर प्रकार की सूती व सूत काती की दुकान	500.00
62	नया साइकिल बिक्री की दुकान	1,000.00
63	साइकिल मरम्मत व पुर्जे की दुकान	200.00
64	साइकिल को छोड़कर बड़े वाहनों के टायर ट्यूब की दुकान	1,000.00
65	(1) मोटर जीप, ट्रक, ट्रैक्टर के पार्ट की दुकान	1,000.00
	(2) मोटर साइकिल के पार्ट की दुकान	500.00
66	(1) मोटर या अन्य बड़े वाहनों के मरम्मत की दुकान या सर्विस सेंटर	1,000.00
	(2) मोटर साइकिल के मरम्मत की दुकान	300.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, वाराणसी

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

	2	3
		रु0
	खराद/वेल्डिंग/ड्रिलिंग की दुकान	500.00
68	कृषि संवंधित वीज व खाद की दुकान	500.00
69	केवल वीज या केवल खाद की दुकान (फुटकर)	500.00
70	वीज एवं खाद गोदाम	1,000.00
71	कृषि संवंधित मशीनरी या औजार की दुकान	500.00
72	पम्पिंगसेट व डीजल इंजन की दुकान	500.00
73	पम्पिंगसेट या डीजल इंजन पार्ट्स की दुकान	500.00
74	घडीसाज या घडी मरम्मत की दुकान	200.00
75	घड़ी की दुकान	200.00
76	विजली के सामान की विक्री की दुकान	500.00
77	विजली के सामान के साथ रेडियों, टी0वी0 पंखे आदि घरेलू सामान उपकरण विक्री की दुकान	500.00
78	केवल भूसा एवं खरी कराई की दुकान	500.00
79	खरी कराई भूसा एवं पशु आहार की सम्मिलित दुकान	500.00
80	टेंट हाउस (छोटा)	1,000.00
81	टेंट हाउस (वडा)	3,000.00
82	विजली के सामानों की मरम्मत की दुकान	200.00
83	कोल्ड स्टोरेज (पावर या अन्य विधि से)	10,000.00
84	कालीन/गलीचा/दरी विनाई (प्रति का)	200.00
85	कालीन या गलीचा व्यवसाय	2,000.00
86	कालीन या गलीचा आदि का निर्यात व्यवसाय	10,000.00
87	कपड़े की छपाई व रंगाई की प्रति दुकान (कम्प्यूटर इम्ब्राइडरी)	1,000.00
89	कवाड़ी व्यवसाय	600.00
90	दाल की मशीन (छोटी)	1,000.00
91	दाल अथवा राइस मिल (पावर या अन्य विधि से)	2,000.00
93	प्लास्टिक का सामान (रस्सी थैला, टोकरी आदि) वनाने का कारखाना	500.00
94	प्लास्टिक का सामान (उपरोक्त के अतिरिक्त) वनाने का कारखाना	1,000.00
96	विडियों फिल्म या इसके प्रदर्शन का व्यवसाय	1,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, वाराणसी

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

	2	3
		रु0
7	विडियों फिल्म या आडियों संबंधित कैसेट की दुकान	500.00
9	संगीत या सजावट संबंधित उपकरण की दुकान	500.00
00	ईधन हेतु	1,000.00
01	घी एवं वनस्पति अथवा तेल उत्पादन की फैक्ट्री	5,000.00
02	सीमेंट या मिट्टी से बनने वाले सामान का कारखाना	2,000.00
03	सीमेंट से केवल बेंच या पौधे लगाने वाले गमले का व्यवसाय	500.00
04	भवन निर्माण मे प्रयुक्त होने वाले (रंग पेंट, एंगल, दरवाजा, खिड़की व सेनेटरी सामान) बनाने का कारखाना	5,000.00
07	रबर या प्लास्टिक से बनने वाले सामानों का कारखाना	1,000.00
109	पोल्ट्री फार्म	1,000.00
112	कृषि संबंधित उपकरण बनाने का कारखाना	1,000.00
113	कार्बन या कार्बन पेपर बनाने का कारखाना	1,000.00
114	बेकरी बिस्कुट, डबल रोटी बनाने का व्यवसाय (छोटा)	1,000.00
115	बेकरी बिस्कुट, डबल रोटी बनाने का व्यवसाय कारखाना	1,000.00
116	रासायनिक दवाओं के बनाने का कारखाना	1,000.00
117	चीनी या खाड़सारी के उत्पादन का व्यवसाय	1,000.00
118	खोवा छेना आदि के निर्माण की भट्ठी	1,000.00
119	ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय	5,000.00
120	फारवर्डिंग एजेंसी	5,000.00
121	कमिशन एजेंट	1,000.00
122	प्रापर्टी डीलर एवं एजेंट	10,000.00
123	सभी प्रकार के सप्लायर	1,000.00
124	सल्फर प्लाण्ट	2,000.00
125	दूध का पाउडर तथा इससे संबंधित अन्य सामान के उत्पादन का कारखाना	5,000.00
126	चीनी मिट्टी एवं बर्तन बनाने का कारखाना	2,000.00
127	सीसे का सामान बनाने का कारखाना	2,000.00
128	सिगरेट बीड़ी बनाने का कारखाना	2,000.00
129	गोदाम (छोटा)	2,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, वाराणसी

Scanned with CamScanner

	2	3
		रु0
	गोदाम (बड़ा)	5,000.00
	हड्डी पीसने का कारखाना	5,000.00
134	तकनीकी विज्ञान के सामान बनाने का कारखाना	2,000.00
135	अन्य प्रकार के दुकानों जो उपरोक्त वर्गीकरण में नहीं है	500.00
136	अन्य प्रकार के कारखाने जो उपरोक्त वर्गीकरण में नहीं है	2,000.00
137	रेस्टोरेंट/भोजनालय	2,000.00
138	हास्टल, लाजिंग गेस्ट हाउस (10 शैय्या तक)	5,000.00
139	हास्टल, लाजिंग गेस्ट हाउस (10 शैय्या से ऊपर)	10,000.00
140	नर्सिंग होम (बिना बेड के)/(1360 वर्ग फीट तक)	1,000.00
141	नर्सिंग होम (10 बेड तक)/(1360 वर्ग0 फीट से ऊपर 10,000 वर्ग फीट तक)	2,000.00
142	प्रसूति गृह (10 बेड तक)	2,000.00
143	पैथोलाजी	1,000.00
144	एक्सरे	1,000.00
145	मोटर साइकिल/स्कूटर विक्री	5,000.00
146	मोटर कार विक्री	10,000.00
147	आटो रिक्शा विक्री	2,000.00
148	रिक्शा ट्राली विक्री	500.00
149	मोटर गैरेज	1,000.00
150	आइसक्रीम फैक्ट्री	2,000.00
151	कैटरिंग सर्विस	2,000.00
152	आर्किटेक्ट/कसल्टेंट/चार्टड एकाउन्ट	5,000.00
153	फाइनेन्स एण्ड चिट फण्ड	5,000.00
154	तेल मिल	2,000.00
155	तेल कोल्हू (स्पेलर)	500.00
157	कालोनाइजर/बिल्डर्स	5,000.00
158	कम्प्यूटर की दुकान	500.00
159	विद्युत ट्रान्सफार्मर मरम्मत	1,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, वाराणसी

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

	2	3
		·50
	मोबाइल स्टोर	500.00
	चश्मा (आप्टिकल दुकान)	5,000.00
62	मोती बनाने का कारखाना	5,000.00
63	नमकीन एवं पेठा बनाने का कारखाना	2,000.00
65	ठेका देशी शराब	1,000.00
66	ठेका विदेशी शराब	2,000.00
67	बियर	2,000.00
68	भांग	1,000.00
169	कालीन/गलीचा धुलाई	700.00
170	धर्म कांटा	2,000.00
171	मीट शाप (मुर्गा, बकरा, मछली) आदि	1,000.00
172	इण्टरलाकिंग टाईल निर्माण उद्योग	6,000.00
173	ट्रक/बस के बाडी का मरम्मत कारखाना	5,000.00
174	विभिन्न कम्पनियों के मोबाइल टावर संचालन	50,000.00
175	चीनी मिल	50,000.00
176	केशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
177	क्रेशर नान हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
178	क्रेशर नान हाईड्रोलिक नॉन सल्फीटेशन	2,500.00
179	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	400.00
180	शक्ति चलित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	1,000.00
181	हस्त चलित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	200.00
182	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	300.00
183	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	2,500.00
184	एक्सपेलर	500.00
185	आरा मशीन	2,000.00
186	खराद मशीन	1,000.00
187	पावर लूम (प्रत्येक)	1,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, वाराणसी

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

	2	3
		रु0
188	रेशम व कपडा बनाने का कारखाना	4,000.00
189	सरिया बनाने का कारखाना	15,000.00
190	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	5,000.00
191	बर्फ बनाने का कारखाना (दो सौ सिल्ली तक)	2,000.00
192	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	4,000.00
193	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	7,000.00
194	पेपर कोन बनाने का कारखाना	4,000.00
195	पेपर रोल बनाने का कारखाना	8,000.00
196	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	10,00.00
197	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	15,000.00
198	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	30,000.00
199	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	50,000.00
200	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	10,000.00
201	चिलिंग प्लाण्ट	6,000.00
202	स्टील, आयरन आदि से पाईप बनाने का कारखाना (2'' मोटाई तक)	25,000.00
203	स्टील, आयरन आदि से पाईप बनाने का कारखाना (2'' मोटाई अधिक)	50,000.00
204	मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना	7,000.00
205	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50,000 बैग तक)	10,000.00
206	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50,000 बैग से अधिक क्षमता पर)	15,000.00
207	पिक्चर ट्यूब बनाने कारखाना	5,000.00
208	हाटमिक्स प्लाण्ट	10,000.00
209	रबड की वस्तुयें बनाने का कारखाना	2,000.00
210	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का बड़ा कारखाना	7,000.00
211	मसाले की ईंट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	8,000.00
212	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशा, तांबा व टीन आदि से वस्तुयें बनाना	4,000.00
213	वनस्पति/देशी घी या रिफाइण्ड आयल बनाने का कारखाना	15,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, वाराणसी

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

	2	3
		रु०
	शराब, स्प्रिट या एल्कोहल वनाने का कारखाना	50,000.00
215	कृषि संबंधी यंत्र वनाने का कारखाना	4,000.00
216	फर्टिलाइजर या कीटनाशक दवाई वनाने का कारखाना	10,000.00
217	खाण्डसारी उद्योग के यंत्र वनाने का कारखाना	5,000.00
218	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या वैग वनाने का कारखाना	4,000.00
219	प्लास्टिक के पाईप, टैंक वनाने का कारखाना	7,000.00
220	विजली के सामान वनाने का कारखाना	4,000.00
221	कपड़ा, कम्वल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	2,000.00
222	कपड़ा, कम्वल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (वड़ा)	8,000.00
223	सीमेंट वनाने का कारखाना	10,000.00
224	फ्लोर मिल	10,000.00
225	दाल मिल	5,000.00
226	रिईनफोर्स्ड, सीमेंट कंक्रीट आदि के ह्यूम पाईप वनाने का कारखाना	10,000.00
227	टेलीविजन वनाने का कारखाना	10,000.00
228	माचिस वनाने का कारखाना	10,000.00
229	वटन वनाने का कारखाना	6,000.00
230	मोमवत्ती वनाने का कारखाना	3,000.00
231	विनियर एण्ड शो मिल	7,000.00
232	पेय पदार्थ वनाने का कारखाना/फैक्ट्री	50,000.00
233	मिनरल वाटर वनाने का कारखाना	15,000.00
234	साकिट वनाने का कारखाना	5,000.00
235	प्लाईउड या माइका वनाने का कारखाना	10,000.00
236	दवाई वनाने का कारखाना	7,000.00
237	गत्ते के डिव्वे वनाने का कारखाना	3,000.00
238	लेमिनेशन का कारखाना	5,000.00
239	दूध पैकेजिंग का कारखाना	6,000.00
240	केमिकल वनाने का कारखाना	8,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, वाराणसी

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

	2	3
		रु०
	डबल रोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	5,000.00
242	गैस आदि बनाने का कारखाना	8,000.00
243	गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना	8,000.00
244	वेल्डिंग राड्स बनाने का कारखाना	6,000.00
245	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना	6,000.00
246	ढलाई करने का कारखाना	6,000.00
247	स्टील अलमारी, बक्से, मेज आदि बनाने का कारखाना	6,000.00
248	पशु आहार बनाने का कारखाना	5,000.00
249	धागा बनाने का कारखाना	4,000.00
250	धागा डबलिंग का कारखाना	7,000.00
251	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	7,000.00
252	साबुन बनाने का कारखाना	2,000.00
253	डिटर्जेंट बनाने का कारखाना	7,000.00
254	पट्टा बनाने का कारखाना	3,000.00
255	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	7,000.00
256	रबड़ के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना	15,000.00
257	टायर रिट्रेडिंग	4,000.00
258	तिरपाल बनाने का कारखाना	10,000.00
259	आतिशबाजी संबंधी सामान बनाने का कारखाना	10,000.00
260	ग्रीस, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
261	चार पहिया बनाने का कारखाना	1,00,000.00
262	दो पहिया बनाने का कारखाना	50,000.00
263	तार बनाने का कारखाना	15,000.00
264	तार की जाली बनाने का कारखाना	3,500.00
265	लालटेन बनाने का कारखाना	3,000.00
266	रेगमाल बनाने का कारखाना	4,000.00
267	बैटरी बनाने का कारखाना	5,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, वाराणसी

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

	2	3
		रु0
	...खा या कूलर बनाने का कारखाना	5,000.00
	रंग बनाने का कारखाना	5,000.00
	गम टेप बनाने का कारखाना	4,000.00
	आटो मोटर्स बनाने का कारखाना	5,000.00
272	निकिल पालिस (प्लेटिंग) करने का कारखाना	5,000.00
273	रांगा बनाने का कारखाना	5,000.00
274	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	5,000.00
275	हड्डी मिल	25,000.00
276	सरेश मिल	5,000.00
277	पेट्रोल मिल	4,000.00
278	डीजल मिल	5,000.00
279	गैस बाटलिंग प्लाण्ट	25,000.00
280	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	2,000.00
281	प्रिटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	2,500.00
282	सिनेमा हाल	4,000.00
283	विडियों हाल	2,500.00
284	मुर्गा/मुर्गी दाना का कारखाना/फैक्ट्री	3,000.00
285	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	10,000.00
286	रेडिमेड गारमेंट्स का कारखाना	15,000.00
287	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	15,000.00
288	स्लाटर हाउस/इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट	1,00,000.00
289	ट्रान्सफार्मर फैक्ट्री	20,000.00
290	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	15,000.00
291	एयर कण्डीशनर बनाने का कारखाना	10,000.00
292	जूट, सन व नायलान बनाने का कारखाना	5,000.00
293	शीशा बनाने का कारखाना	3,000.00
294	पिपरमिंट बनाने का कारखाना	2,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, वाराणसी

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

	2	3
		रु0
[illegible]	[illegible] का कारखाना	25,000.00
[illegible]	[illegible]विक कारखाना	5,000.00
297	फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (बीस पाये तक)	10,000.00
298	फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (बीस पाये से अधिक)	15,000.00
299	स्टोन क्रेशर	15,000.00

उपरोक्त के अतिरिक्त उद्योगों को निम्न श्रेणी में विभक्त करते हुए अधिकतम लाइसेंस फीस सम्मुख अंकित धनराशि के अन्तर्गत की जा सकती है।

क्र0सं0	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	प्रस्तावित लाईसेंस शुल्क
		रु0
1	सूक्ष्म/कुटिर उद्योग (माइक्रो) (लागत पच्चीस लाख तक)	1,000.00 से 5,000.00 तक
2	लघु उद्योग (लागत 25 लाख 5 करोड़ तक)	6,000.00 से 20,000.00 तक
3	मध्यम उद्योग (लागत 5 करोड़ से 10 करोड़ तक)	21,000.00 से 5,00,000.00 तक
4	भारी उद्योग (लागत 10 करोड़ से अधिक)	51,000.00 से 1,00,000.00 तक

16–लाइसेंस की दर प्रत्येक 3 वर्ष पर 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ निर्धारित की जायेगी, जिसकी स्वीकृति जिला पंचायत, वाराणसी की बैठक से प्राप्त होगी।

17–कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि कोई ऐसी सूचना नहीं देंगे जो असत्य हो या इन उपविधियों से सम्बन्धित कोई ऐसी सूचना जिनका अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी तथा जिला पंचायत का कोई अन्य कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति इस कार्य के लिये की गयी हो, मांगे तो देने से इंकार नहीं करेंगे।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत वाराणसी निर्देश देती है कि उपरोक्त उपनियमों में से किसी भी उपनियम का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता की दोष सिद्ध होने पर रुपये 1,000 (एक हजार रुपया) तक अर्थदण्ड, दिया जा सकता है तथा [illegible] दोष सिद्ध होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहा है तो रुपये 50.00 (पचास रुपये) प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड दिया जा सकता है और अर्थदण्ड न अदा करने पर तीन माह का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, वाराणसी

ह0 (अस्पष्ट),
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, वाराणसी।

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner